

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)**

O.A. NO. 07/2024(CZ)

ASHOK SHARMA

APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS.

RESPONDENTS

**COMPLIANCE REPORT IN TERMS OF ORDER DATED 22.04.2024
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

That in terms of directions issued by this Hon'ble Tribunal dated 22.04.2024 the respondent no.3 is submitting the report which may be kindly taken on record.

PRAYER

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this status report on record in the interest of justice.

PLACE: BHOPAL

SHOEB H KHAN

DATE:

COUNSEL FOR RESPONDENT NO.3

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

O.A. NO. 07/2024(CZ)

ASHOK SHARMA

APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS.

RESPONDENTS

शजि० क्रमांक... 5/2
दिनांक... 9/7/2024

AFFIDAVIT

I MANAS SINGH s/o ASHOK KUMAR SINGH R/O BHARATPUR
Post DCF WILDLIFE BHARATPUR do hereby solemnly
affirm on oath and state as under:-

1. That I am well acquainted with the facts of the present case and the application has been drafted by counsel for answering respondent on my instructions and contents thereof, have also been explained to me.
2. That Annexure R1 & R2 are the Photocopies of originals & they are correct and are true to best of my knowledge.
3. That, affidavit is executed in support of documents annexed with the compliance report.



Manas Singh
DEPONENT

VERIFICATION

I MANAS SINGH the above named deponent do hereby verify that the contents of the aforesaid affidavit from paragraph 1 to 3 are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Verified on this day of 2024.

Manas Singh
DEPONENT

Admitted & Sworn

PLACE: *Bharatpur* Before Me *SHOEB H KHAN*

DATE: *9/7/24* ATTESTED *9/7/24* COUNSEL FOR RESPONDENT NO.3

NOTARY PUBLIC
BHARATPUR (RAJ.)

ALL DOCUMENTS ARE
IDENTICAL TO ME



कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

अवैध खनन संबंधी कार्यों में क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बरैटा को अवैध खनन/ अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं०	माह का नाम	दर्ज प्रकरण			मुआवजा राशि जो बरसूल की गई		
		अवैध खनन	अवैध परिवहन	कुल	अवैध खनन	अवैध परिवहन	कुल
1	अप्रैल 23	—	—	—	—	—	—
2	मई 23	—	03	03	—	167000	167000
3	जून 23	—	—	—	—	—	—
4	जुलाई 23	01	01	02	150000	31000	181000
5	अगस्त 23	—	—	—	—	—	—
6	सितम्बर 23	02	05	07	30000	194000	224000
7	अक्टूबर 23	—	—	—	—	—	—
8	नवम्बर 23	—	03	03	—	153000	153000
9	दिसम्बर 23	01	04	05	51000	322000	373000
10	जनवरी 24	02	03	05	21000	113000	134000
	योग	06	19	25	252000	980000	1232000

- अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों की अवधि में लगभग 3 कि.मी० पक्की दीवार बनायी गयी है।
- अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में इस वर्ष 100 हैक्टेयर प्लान्टेशन कराकर वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से सुरक्षित किया गया है।
- अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु इस कार्यालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जनवरी 2024 में आर.ए.सी./पुलिस जाप्ता लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया, तथा निरन्तर आर.ए.सी./पुलिस जाप्ता लगाये रखने हेतु अनुरोध किया गया है।
- अवैध खनन/ अवैध परिवहन की पूर्ण रोकथाम हेतु इस कार्यालय को पुलिस एवं आर.ए.सी. की सहायता जनवरी 2024 तक प्राप्त हुई।
- माह जनवरी में पुलिस एवं आर.ए.सी. जाप्ता की सहायता से अवैध खनन की रोकथाम हेतु कई स्थानों पर अस्थाई टेन्ट लगाकर मॉनीटरिंग की गई थी तथा वर्तमान में वन विभाग के स्टाफ द्वारा अस्थाई टेन्ट लगाकर उक्त गतिविधियों पर रोकथाम की जा रही है।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्तीदल को क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बरैटा के साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
- उक्त गतिविधियों की रोकथाम हेतु समय-समय पर प्रभावित क्षेत्र की ज़ोन द्वारा मॉनीटरिंग कराई जा रही है।

Naval
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर



कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

क्रमांक एफ () विविध II / उवसंवजी / 2023-24 / 281

दिनांक 23-1-24

निमित्त,

जिला पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

विषय:- आर.ए.सी./पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने बाबत।


संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 4855 दिनांक 22.9.2023 एवं 6276 दिनांक 14.12.23

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा वन क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य बंध बरैटा में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु आर.ए.सी./पुलिस तैनात करने हेतु पूर्व में निवेदन किया गया था, परन्तु उक्त जाप्ते की तैनाती नहीं हो पायी है।

अतः पुनः निवेदन है कि वन्यजीव अभयारण्य बंध बरैटा वन क्षेत्र में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु आर.ए.सी./पुलिस लगाने की कृपा करें।

भवदीय,


(मानस सिंह)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

क्रमांक एफ () समसंख्यांक

दिनांक

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर